

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित ई0सी0जी0 टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील कुमार	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	जिला चिकि0 बागेश्वर	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20726

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 बागेश्वर/ बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 5 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रंजनीश मिश्रा	लैब टैक्नीशियन	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	जिला चिकि० चम्पावत	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20728

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल/जिला चिकि० चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीपा	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के० कालसी, देहरादून	प्रा०स्वा०के० कोटीढलानी, देहरादून	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20130

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संदीप राणा	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षयरोग अधिकारी, देहरादून	सामु0स्वा0के0 थत्यूड, टिहरी, गढ़वाल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20732

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ टिहरी।
3. जिला क्षयरोग अधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ टिहरी, गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नितिन शर्मा	लैब टैक्नीशियन	उप जिला मेला चिकि० हरिद्वार	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20234

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/ उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला मेला चिकित्सालय, हरिद्वार/जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/ उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	जिला चिकि० पिथौरागढ़	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20736

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/ पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० अल्मोड़ा/ जिला चिकि० पिथौरागढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सन्दीप बर्थवाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी	सामु०स्वा०के० चैलूसैण, पौड़ी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20738

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3. प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 दुगड्डा, पौड़ी	सामु0स्वा0के0बीरोंखाल, पौड़ी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20240

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुराग मेहता	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के०केलाखेड़ा, ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि० पिथौरागढ़	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20742

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनीता चौहान	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 जसपुर, ऊधमसिंह नगर	सामु0स्वा0के0 सुयालबाड़ी, नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20744

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ नैनीताल।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जि० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवेश सिंह कार्की	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	सामु०स्वा०के० गरमपानी, नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20746

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक-09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शशिभूषण भट्ट	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर, टिहरी	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20748

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/चमोली।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर, टिहरी/जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री उदय राज	वरि०लैब टैक्नीशियन	सामु०स्वा०के० बेतालघाट, नैनीताल	जिला चिकि० बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20750

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ख्याली दत्त तिवारी	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 ताकुला, अल्मोड़ा	जिला चिकि0 अल्मोड़ा	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20752

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	लैब टैक्नीशियन	टी0बी0 क्लीनिक पौड़ी	उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर टिहरी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20754

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/ टिहरी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर, टिहरी।
4. जिला क्षयरोग अधिकारी, टी0बी0 क्लीनिक पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/ टिहरी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयवर्धन नेगी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 नैनीताल, पौड़ी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20756

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/ नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनिल कुमार	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 खाड़ी, टिहरी	मेला चिकि0 हरिद्वार	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20758

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/ हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/ हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018; शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद चन्द्र रमोला	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 चिन्‍यालीसौड़, उत्तरकाशी	सामु0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/20760

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)



कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षयरोग चिकि० नरेन्द्र नगर, टिहरी	प्रा०स्वा०के० पाटीसैण, पौड़ी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)  
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2023/ 20262

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/पौड़ी।
3. जिला क्षयरोग अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)  
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)